

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी- श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद-पत्र संख्या : 45/2017

वाद दायरी दिनांक : 09/05/2017

निर्णय दिनांक : 25-05-2018

1. रामजीवण पुत्र छोगा जाति जाट निवासी महतगांव तहसील दूदू जिला जयपुर।
2. भूरा पुत्र छोगा जाति जाट निवासी महतगांव तहसील दूदू जिला जयपुर।

— वादीगण

बनाम

- | | | |
|--|---|--|
| 1. रामचन्द्र पुत्र छोगा | } | समस्त जातियान जाट निवासी महतगांव तहसील दूदू जिला जयपुर |
| 2. कमला पत्नि काना | | |
| 3. जगदीश पुत्र काना | | |
| 4. रामाकिशन पुत्र भूरा | | |
| 5. तहसीलदार महोदय, तहसील दूदू जिला जयपुर | | |

— प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक इन्द्राज दुरुस्ती एवं विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री नारायणसहाय पारीक

विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री भैरूलाल शर्मा

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 25-05-2018

—: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणात्मक, इन्द्राज दुरुस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण जो कि स्वर्गीय छोगा के वारिसान हैं तथा आराजीयात स्वर्गीय छोगा की पुश्तेनी आराजीयात रही है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से के अनुसार काबिज काशत रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि जो निम्नानुसार दर्शाया गया है तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज एवं विभाजन नहीं हो रखा है जिसके खसरा नम्बर 305 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 1.2900 है०, ' खसरा नम्बर 287 रकबा 0.53 है०, ख.नं. 288 रकबा 0.18 है०, ख.नं. 304 रकबा 0.90 है०, ख.नं. 308 रकबा 0.28 है०, ख.नं. 309 रकबा 0.45 है०, ख.नं. 326 रकबा 0.62 है०, ख.नं. 391



उपखण्ड अधिकारी
दूदू

रकबा 1.15 है0, ख.नं. 811 रकबा 0.26 है0, ख.नं. 812 रकबा 1.11 है0, ख.नं. 854 रकबा 0.74 है0, ख.नं. 855 रकबा 0.97 है0, ख.नं. 856 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 857 रकबा 0.06 है0, ख.नं. 858 रकबा 0.44 है0, ख.नं. 861 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 888 रकबा 0.29 है0, ख.नं. 889 रकबा 0.25 है0, ख.नं. 972 रकबा 0.74 है0, ख.नं. 973 रकबा 0.40 है0, ख.नं. 992 रकबा 0.66 है0, ख.नं. 993 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 994 रकबा 0.18 है0, ख.नं. 995 रकबा 0.43 है0, ख.नं. 1030 रकबा 0.88 है0, ख.नं. 1031 रकबा 1.04 है0, ख.नं. 336 रकबा 0.73 है0, ख.नं. 367 रकबा 0.79 है0, ख.नं. 370 रकबा 1.00 है0, ख.नं. 428 रकबा 1.32 है0, ख.नं. 431 रकबा 0.65 है0, ख.नं. 432 रकबा 1.25 है0, ख.नं. 433 रकबा 0.63 है0, ख.नं. 434 रकबा 0.51 है0, ख.नं. 435 रकबा 0.29 है0, ख.नं. 458 रकबा 0.51 है0, ख.नं. 846 रकबा 1.77 है0, ख.नं. 1029/1110 रकबा 0.25 है0, ख.नं. 1029/1113 रकबा 0.25 है0, ख.नं. 1032 रकबा 0.12 है0, ख.नं. 1033 रकबा 0.18 है0, ख.नं. 1034 रकबा 0.09 है0, ख.नं. 1035 रकबा 0.09 है0, ख.नं. 1036 रकबा 0.40 है0, ख.नं. 1037 रकबा 0.21 है0, ख.नं. 1038 रकबा 0.32 है0, ख.नं. 1039 रकबा 0.28 है0, ख.नं. 1040 रकबा 0.25 है0, ख.नं. 1041 रकबा 0.46 है0, ख.नं. 1042 रकबा 0.63 है0, ख.नं. 1043 रकबा 0.32 है0, ख.नं. 1044 रकबा 0.20 है0, ख.नं. 246/1109 रकबा 0.25 है0, ख.नं. 21 रकबा 0.47 है0, ख.नं. 23 रकबा 1.75 है0, ख.नं. 24 रकबा 0.20 है0, ख.नं. 327 रकबा 0.19 है0, ख.नं. 328 रकबा 0.79 है0, ख.नं. 329 रकबा 0.30 है0, ख.नं. 330 रकबा 0.30 है0, ख.नं. 436 रकबा 0.57 है0, ख.नं. 807 रकबा 0.23 है0, ख.नं. 808 रकबा 0.16 है0, ख.नं. 809 रकबा 0.38 है0, ख.नं. 810 रकबा 0.13 है0, ख.नं. 830 रकबा 0.77 है0, ख.नं. 831 रकबा 0.06 है0, ख.नं. 832 रकबा 0.49 है0, ख.नं. 845 रकबा 1.01 है0, वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्सेनुसार खातेदारी भूमि में



काबिज काश्त चले आ रहे हैं लेकिन विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने से हमेशा विवाद होता रहता है तथा गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण हमेशा वादी को बेदखल करने ऐलानिया धमकी देते रहते हैं जिससे वादी को मिलने वाली राजकीय सुविधाओं से वंचित ही नहीं रहना पड़ता है बल्कि कब्जेनुसार आराजीयात जो विकसित कर रखा है हमेशा बेदखली करने की धमकी दिये जाने से भय उत्पन्न रहता है। प्रतिवादीगण को कई बार नाम लगवाने की एवं विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते रहते हैं अभी हाल ही में न्याय आपने द्वार कार्यक्रम में भी निवेदन किया उस दिन उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
द्वारा

नहीं हुये जिससे वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। मुताबिक जमाबन्दी वर्तमान में खाता संख्या 96 में वादी संख्या 02 का नाम भूरा पुत्र लादू दर्ज हो रखा है जबकि वादी संख्या 2 का नाम भूरा पुत्र छोगा है इसी प्रकार वादी संख्या 01 का नाम खाता संख्या 140 में रामजीवण पुत्र छीतर दर्ज हो रखा है जबकि वास्तविक नाम रामजीवण पुत्र छोगा होना चाहिये जो भी दुरुस्त किये जाने योग्य है। तथा खाता संख्या 162 में रामजीवण पुत्र छीतर दर्ज हो गया है, उसकी जगह रामजीवण पुत्र छोगा दर्ज किये जाने योग्य है। उक्त वल्लिदयत के कारण वादीगण को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसलिये दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी इस अमर फरमाया जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 6 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काशत है एवं खाता संख्या 96 में वर्णित वादी का नाम भूरा पुत्र लादू के स्थान पर भूरा पुत्र छोगा व खाता संख्या 140 में रामजीवण पुत्र छीतर के स्थान पर रामजीवण पुत्र छोगा दुरुस्त किया जावे एवं खातेदार काशतकार घोषित किया जावे। वाद पत्र के पैरा संख्या 06 के अनुसार विभाजन किया जाकर एवं लगान की फैटबन्दी अहलदा की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादीगण के हिस्से में दखलबाजी न स्वयं करे न अन्य से करावे।



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 01/06/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री मरुलाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया गया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। अधिवक्ता वादी की ओर से साक्ष्य गवाहान पी.डब्ल्यू 1 रामजीवण, पी.डब्ल्यू 2 भूरा, पी.डब्ल्यू 3 नारायण गुर्जर, पी.डब्ल्यू 4 गणेश के साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रस्तुत शपथ-पत्रों पर साक्ष्य वादी के बयान लिये गये। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य न पेश कर सीधी बहस करना जाहिर किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दूर

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र, दस्तावेजात सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी ग्राम महतगांव, फोटो प्रति नामान्तरकरण किता-13, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल व उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह निवेदन किया गया कि ग्राम महतगांव, पटवार मण्डल महतगांव तहसील दूदू की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 162 में वादी संख्या 1 रामजीवण के पिता का गलत नाम अंकित है। उक्त खाता संख्या में रामजीवण पुत्र छोगा के स्थान पर रामजीवण पुत्र छीतर अंकित किया गया है, जो कि गलत होने से दुरुस्तनीय है। इसी प्रकार ग्राम महतगांव, पटवार मण्डल महतगांव तहसील दूदू की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 94 के अन्तर्गत वादी संख्या 2 भूरा के पिता का गलत नाम अंकित किया गया है। उक्त खाता संख्या में भूरा पुत्र छोगा अंकित किया जाना चाहिये था, परन्तु इसके स्थान पर भूरा पुत्र लादू दर्ज कर दिया गया, जो कि गलत होने से दुरुस्तनीय है। वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से भी उनके कथन की पुष्टि होती है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि का पुश्तैनी होना व प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रकरण का अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया। साथ ही वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 162 में रामजीवण पुत्र छीतर के स्थान पर रामजीवण पुत्र छोगा एवं खाता संख्या 94 में दूदू भूरा पुत्र लादू के स्थान पर भूरा पुत्र छोगा किये जाने के बाबत सहमति जाहिर की गयी। अतः उक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात वाके ग्राम महतगांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर में से खाता संख्या 94 में दर्ज भूरा पुत्र लादू के स्थान पर भूरा पुत्र छोगा व खाता संख्या 162 में रामजीवण पुत्र छीतर के स्थान पर रामजीवण पुत्र छोगा दर्ज किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है :-

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

खसरा नम्बर	रकबा	भूरा	रामजीवण	जगदीश कमला	रामचन्द्र	भूरा, रामजीवण, रामचन्द्र, जगदीश व कमला
12	1.29				1.29	
287	0.53			0.53		
288	0.18			0.18		
304	0.90		0.90			
305	0.11		0.11			
308	0.28			0.28		
309	0.45			0.45		
326	0.62			0.62		
391	1.15		0.63		0.52	
811	0.26			0.10	0.10	0.06
812	1.11	0.29	0.35	0.33	0.03	0.11
854	0.74			0.33	0.41	
855	0.97	0.53	0.38			0.06
856	0.01					0.01
857	0.06					0.06
858	0.44	0.24			0.10	0.10
861	0.04					0.04
888	0.29			0.15	0.14	
889	0.25	0.13	0.12			0.04
972	0.74			0.35	0.35	
973	0.40	0.20			0.20	0.01
992	0.66	0.32	0.33			0.01
993	0.01					0.18
994	0.18					
995	0.43		0.21	0.22		0.02
1030	0.88	0.04	0.60	0.06	0.16	0.02
1031	1.48	0.34	0.11	0.54	0.47	
1036	0.73	0.18			0.55	
1037	0.79		0.79			
1038	1.00	0.50		0.50		
1039	1.32	1.32				
1040	0.65		0.65			
1041	1.25		0.75		0.50	
1042	0.63				0.63	
1043	0.51		0.12	0.13	0.26	
1044	0.29			0.29		
1045	0.29			0.26		
1046	0.51	0.25				1.52
1047	1.77		0.15	0.10		
1029/1110	0.25	0.05	0.06	0.06	0.08	
1029/1113	0.25	0.03	0.06	0.08	0.08	
1032	0.12	0.12				0.01
1033	0.18	0.17				0.01
1034	0.09	0.08				
1035	0.09	0.09				0.01
1036	0.40	0.39				
1037	0.21	0.15		0.06		



उपखण्ड अधिकारी
द्वारा

खसरा नम्बर	रकबा	भूरा	रामजीवण	जगदीश कमला	रामचन्द्र	भूरा, रामजीवण, रामचन्द्र, जगदीश व कमला
1038	0.32					
1039	0.28			0.31		0.01
1040	0.25			0.28		
1041	0.46		0.15	0.10		
1042	0.63		0.35	0.10		
1043	0.32		0.17		0.45	0.01
1044	0.20		0.18		0.14	
846/1109	0.25				0.20	
21	0.47	0.47				रामकिशन 1/4, रामजीवण, रामचन्द्र हि. 1/2, कमला, जगदीश हि. 1/4
23	1.75	0.88			0.87	
24	0.20	0.20				
327	0.29	0.29				
328	0.79	0.53			0.26	
329	0.30			0.30		
330	0.30		0.23	0.07		
436	0.57	0.12		0.45		
807	0.23	0.03			0.20	
808	0.16	0.03			0.13	
809	0.38	0.38				
810	0.13	0.13				
830	0.77		0.32	0.23	0.22	
831	0.06			0.06		
832	0.49		0.16	0.16	0.17	
845	1.01	0.25	0.15	0.11	0.25	0.17 में शामिल होती एवं 0.08 भूरा, रामजीवण, रामचन्द्र ब.हि. बराबर-बराबर
851	0.55		0.22	0.22	0.11	
437	0.56			0.56		
331	0.30				0.30	
332	0.10				0.10	
333	0.66		0.43		0.23	



पर्या डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25-05-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
ज्योतिपुर

નોટ:- આરેશ ડિગ્રેડ 05/0/18 કે અનુસાર ડિગ્રેડ
 ડિગ્રેડ 25/05/2018 કે પેલે સંખ્યા 6
 પાંક્તિ સંખ્યા 04 કે શામલાતી કાલમ
 રા, રામલીલ, રામચન્દ્ર, ખગેરીલા
 વ સમજા મેં 0.0180 પદા બાકે)

અપેક્ષક અધિકારી
 વૃદ્ધ (જયપુર)

નોટ:- આરેશ ડિગ્રેડ 01/3/2019 કે અનુસાર ડિગ્રેડ
 ડિગ્રેડ 25/5/18 કે પેલે 6 કે પાંક્તિ 12 કે
 દર્જા ક્ર. 327 સ્કા 0.29 કે સ્થાન વા
 સ્કા 0.19 પદા બાકે)

અપેક્ષક અધિકારી
 વૃદ્ધ

डिक्री मुकदमा इस्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

न्यायालय उप (वठ अफिसरी इ)

अदालत

जिला

राजजीवन पु होगा जाट,

पूरा पु होगा जाट

महत्तागं

मुकदमा नं.

45/12

सन

बनाम 1. रामचंद्र पु होगा, 2. वमना 100 काना,

दावा बावत दोफतलक 23/12/18, जंगरी 40 काना, 4. रामादिशन

पु पूरा जातिपात जाट 100

महत्तागं 5 वमनीक 132

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु

श्री नारायण महाप्र पाकि पु

मिनजानिब मुदई रुबरु

श्री मेरुलाल शर्मा

जिले

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वारीगन का वाट अक्तेम डिगरी दिया जाय कि डिगरी

आरापीदात कोमे शक महत्तागं वमनीक 32 किलो 100 ग्राम के

खाता होला 94 मे दर्ज पूरा पु होगा के लिये पा पूरा पु होगा व

खाता है 162 मे रामजीवन पु होगा के लिये पा रामजीवन पु होगा

दिया जाय पकड़ान के मुदई कि डिगरी दी कि डिगरी दिया जाय



लखनऊ मुकदमा के गप सूद बशरह

का अदा करे।

फीसरी ... ना आज की तारीख से

उपस्थंड अधिकारी

जिले के दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख

25 माह 05 सन 2018

जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महत्तागना वकील		
महत्तागना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बावत इजराय हुकमनामा		
बावत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

नोट:- आदेश दि. 13/19 के अन्तर्गत डिगरी डिगरी
25/18 के अन्तर्गत 4 से फीसरी 108 मे दर्ज 100 322 रु
0.28 रु फीसरी रु 0.13 पहा फीसरी

उपस्थंड अधिकारी

पूरा

शे.क.	रम्बा	भूरा	सामाजिक	जगदीश कुल	सामाजिक	भूरा, सामाजिक सामाजिक, जगदीश कुल
12	1.29				1.29	
287	0.53			0.53		
288	0.18			0.18		
304	0.90		0.90			
305	0.11		0.11			
308	0.28			0.28		
309	0.45			0.45		
326	0.62			0.62		
391	1.15		0.63		0.52	
411	0.26			0.10	0.10	0.06
812	1.11	0.29	0.35	0.33	0.03	0.11
854	0.74			0.33	0.41	
855	0.97	0.53	0.38			0.06
856	0.01					0.01
857	0.06					0.06
858	0.44	0.24			0.10	0.10
861	0.04					0.04
888	0.29			0.15	0.14	
889	0.25	0.13	0.12			
972	0.74			0.35	0.35	0.04
973	0.40	0.20			0.20	
992	0.66	0.32	0.33			0.01
993	0.01					0.01
994	0.18					0.18



उपखण्ड अधिकारी
दूध

(3)

क्र.सं.	रम्या	दूर	राजकीय	ग्राहक कला	राज्य	दूर, राजकीय राज्य, ग्राहक कला
995	0.43		0.21	0.22		
1030	0.88	0.04	0.60	0.06	0.16	0.02
1031	1.48	0.34	0.11	0.54	0.47	0.02
336	0.73	0.18			0.55	
367	0.79		0.79			
370	1.00	0.50		0.50		
428	1.32	1.32				
431	0.65		0.65			
432	1.25		0.75		0.50	
433	0.63				0.63	
434	0.51		0.12	0.13	0.26	
435	0.29			0.29		
458	0.51	0.25		0.26		
846	1.77		0.15	0.10		1.52
1029	0.25	0.05	0.06	0.06	0.08	
1030	0.25	0.03	0.06	0.08	0.08	
1032	0.12	0.12				
1033	0.18	0.17				0.01
1034	0.09	0.08				0.01
1035	0.09	0.09				
1036	0.40	0.39				0.01
1037	0.21	0.15		0.06		
1038	0.32			0.31		0.01
1039	0.28			0.28		
1040	0.25		0.15	0.10		
1041	0.46		0.35	0.10		



उपखण्ड अधिकारी
दूर

PJO

क्र.सं.	रकबा	रकबा	शामलीकण	भागरीय वकला	शामलीकण	शामलीकण, शामलीकण, शामलीकण वकला
1042	0.63		0.17		0.45	0.01
1043	0.32		0.18		0.14	
1044	0.20				0.20	
846/1109	0.25					शामलीकण 1/4 शामलीकण शामलीकण 1/2 वकला, शामलीकण
21	0.47	0.47				
23	1.75	0.88			0.87	
24	0.20	0.20				
327	0.29	0.29				
328	0.79	0.53			0.26	
329	0.30			0.30		
330	0.30		0.23	0.07		
436	0.57	0.12		0.45		
827	0.23	0.03			0.20	
828	0.16	0.03			0.13	
829	0.38	0.38				
830	0.13	0.13				
830	0.77		0.32	0.23	0.22	
831	0.06			0.06		
832	0.49		0.16	0.16	0.17	
845	1.01	0.25	0.15	0.11	0.25	0.17 के शामलीकण सं 0.08 थरा, शामलीकण, शामलीकण वकला
851	0.55		0.22	0.22	0.11	
437	0.56			0.56		
331	0.30				0.30	
332	0.10				0.10	
333	0.66		0.43		0.23	



उपखण्ड अधिकारी
दूध

नोट:- आदेश दिनांक 5/5/18 के अनुसार डिडी दिनांक 25/5/18 के तहत
सं 03 की अन्तिम पार्स के शामलीकण वकला थरा, शामलीकण, शामलीकण
भागरीय वकला के 0.04 के प्रकाशित

उपखण्ड अधिकारी
जमशेदपुर (जमशेदपुर)